

**भारत सरकार**  
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3963**  
**सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)**

**बीओसीडब्ल्यू एमआईएस पोर्टल**

**3963. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:**  
**प्रो.वर्षा एकनाथ गायकवाड़:**  
**श्री संजय दिना पाटील:**  
**डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:**  
**श्रीमती सुप्रिया सुले:**  
**श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:**

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों (बीओसीडब्ल्यू) एमआईएस पोर्टल का संचालन आरम्भ कर दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को बीओसीडब्ल्यू एमआईएस पोर्टल में बार-बार आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों की जानकारी है, जिसके कारण श्रमिकों के आवेदनों के पंजीकरण और नवीनीकरण में देरी होती है और यदि हाँ, तो पोर्टल के शुभारंभ के बाद से महाराष्ट्र में ऐसी समस्याओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;
- (ग) क्या भाषा विकल्पों, डिजिटल साक्षरता या इंटरनेट की कमी के कारण पोर्टल के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया प्रभावित हुआ है और यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या सरकार ने बीओसीडब्ल्यू एमआईएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को वितरित कल्याणकारी लाभों की स्थिति का पता लगाने और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या पोर्टल प्रविष्टियों के बावजूद धन का वितरण न करने या धन के दुरुपयोग की रिपोर्टों की जाँच की गई है; और
- (च) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आए हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**  
**(सुश्री शोभा कारानन्दलाजे)**

(क) से (च) केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2024 को भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार प्रबंधन सूचना प्रणाली (बीओसीडब्ल्यू एमआईएस) पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह पोर्टल उपकर संग्रहण, सामाजिक सुरक्षा लाभों पर किए गए व्यय, उपकर निधि से भवन निर्माण कामगारों के बच्चों हेतु विद्यालय के निर्माण आदि के संबंध में संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

बोर्ड के कामकाज पर किए गए व्यय को ब्यौरों का रखरखाव संबंधित राज्य बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है।